

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्डू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य, रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु ₹ 1350.00 लाख (तेरह करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य, रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु ₹ 1350.00 लाख (तेरह करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इसके लिए विभाग में निम्नलिखित कड़िकावार कार्य प्रस्तावित है (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-I प्र)।
 - (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अधीन विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्रान्तर्गत सर्वेक्षण/अनुसंधान/गुण नियंत्रण/डी०पी०आर०/मूल्यांकन/परामर्शी सेवाएँ आदि का कार्य।
 - (ii) CWC द्वारा कराये जानेवाले 31 योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य एवं DPR तैयार करने का कार्य।
 - (iii) कनहर जलाशय/बराज योजना की संभाव्यता की जाँच हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के संचालन का व्यय।
 - (iv) मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के अधीन राज्य की विभिन्न नदियों पर गेज, डिस्चार्ज मापन, रेन गेज संधारण एवं मौसमी गेज डिस्चार्ज मापक कर्मियों का भुगतान कार्य एवं अनुसूचित दर निर्धारण करने आदि का कार्य।
 - (v) परिशिष्ट-I में विभिन्न कार्यों के विरुद्ध दर्शायी गयी राशि औपबंधिक है।
4. कड़िका-2, में उल्लेखित सभी कार्यों के सम्पादन हेतु होने वाले व्यय के लिये एक मुश्त ₹ 1350.00 लाख (तेरह करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) का प्रस्ताव है।
5. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-
 - (i) माँग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप. मुख्य शीर्ष - 80 - सामान्य, लघुशीर्ष - 796 - जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना उप शीर्ष - 75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान 49 आर्थिक सहायता (49S470180 796750649) एवं

(ii) माँग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष - 800 - अन्य व्यय, उप शीर्ष -75- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष - 07- अन्य व्यय 59-अन्य व्यय (49S470180800750759) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. (क) कंडिका 3 के (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित कार्यों के व्यय हेतु योजना/कार्य से संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(ख) कंडिको 3 (iv) में उल्लेखित समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची से संबंधित कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची होंगे और समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-2, देवघर के अधीन कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2 देवघर होंगे, इन सभी कार्यों के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी इन कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करते हुए आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रस्तावित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2017-18 के बजट में कुल ₹ 1350.00 लाख का मूल उपबंध है।

11. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

14. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक 30.05.2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/अग्रिम योजना, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

30/05/17

वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा ली जानेवाली सर्वेक्षण कार्यों की सूची

(राशि लाख रु० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	संभावित व्यय की जानेवाली राशि
1	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के विभिन्न नदियों का गेज पठन, डिस्चार्ज मापन एवं गेज कर्मियों का भुगतान।	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची।	80.00
2	विभाग द्वारा ली जाने वाली 31 योजनाओं का CWC द्वारा सर्वेक्षण कर DPR बनाने का कार्य	विभाग के सभी मुख्य अभियंता परिक्षेत्र।	800.00
3	पलामू प्रमण्डल अन्तर्गत गढ़वा, लातेहार पलामू जिला एवं अन्य क्षेत्रों में पाइप लाइन के माध्यम से पेय जल/सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का सर्वेक्षण DPR बनाने का कार्य	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर।	40.00
4	पलामू जिला अन्तर्गत कनहर बराज योजना की संभाव्यता की जाँच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के संचालन का व्यय।	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर।	50.00
5	गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मेदिनीनगर का पुनरुद्धार कार्य।	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर।	42.00
6	गुण नियंत्रण प्रयोगशाला हजारीबाग का पुनरुद्धार कार्य।	मुख्य अभियंता, हजारीबाग	10.00
7	विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के अन्तर्गत 2017-18 में ली जाने वाली योजनाएं एवं पूर्व से चल रही योजनाओं का सर्वेक्षण/परामर्शी कार्य/मूल्यांकन कार्य एवं PPR/DPR तैयारकरने का कार्य।		
(i)	अन्नराज, दानरो बाँयी बाँकी, कवलदाग, मलय टेमराइन, रानीताल सिंचाई योजना एवं अन्य सिंचाई योजना का DPR	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर	100.00
(ii)	सिवाने, सलैया जलाशय योजना एवं अन्य सिंचाई योजना का DPR	मुख्य अभियंता, हजारीबाग	80.00
(iii)	दुगनी बराज का निर्माण कंसजोर जलाशय विशुनपुर, ब्राह्मणी खतवा वीयर, बुचाओपा जलाशय योजना एवं अन्य सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कार्य का DPR	मुख्य अभियंता, राँची	48.00
(iv)	तरडीहा एवं सैदापुर वीयर योजना एवं अन्य सिंचाई योजनाओं का DPR इत्यादि।	मुख्य अभियंता, देवघर	50.00
8	माननीय सांसद/विधायक/जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित योजनाओं के सर्वेक्षण /DPR इत्यादि तैयार करने का कार्य		50.00
कुल राशि : -			1350.00

पत्रांक 13/17-18 प्र. स्वी०

दिनांक - 30.05.2017

उप सचिव (अभियंता)
जल संसाधन विभाग

30/05/17